

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर ।

क्रमांक :- 1608-2(1)/जन/स्था/99-111

दिनांक 31/05/2017

गैरार्स-----  
-----  
-----

विषय :: जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर में टेक्सी किराये पर लेने हेतु रेट/कोटेशन मांगने के संबंध में।

महोदय,


जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के लिए दिन प्रति-दिन सरकारी कार्यों के निर्वहन हेतु एक टेक्सी स्विफ्ट डिजायर/इनोवा या इसके समकक्ष टेक्सी (कार) किराए पर लेना है। इस कार्य हेतु आप अपनी दरें सभी खर्चों सहित मासिक आधार पर संलग्न प्रपत्र में भिजवाने की व्यवस्था करें।

टेक्सी किराये पर प्रदान करने की शर्तें निम्नानुसार होगी:-

1. टेक्सी (कार) चालक के पास राजस्थान राज्य एवं नई दिल्ली के लिए वैध परमिट होना चाहिए।
2. टेक्सी/कार किराया लेने की अवधि एक माह अथवा अधिकतम दो माह होगी। जिसका प्रति माह 2500 किलोमीटर का रेट देना होगा।
3. स्विफ्ट डिजायर/इनोवा टेक्सी की रेट अलग-अलग देनी होगी।
4. प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 9.00 से सांय 6.30 बजे तक टेक्सी उपलब्ध करवाने के साथ-साथ आवश्यकता पडने पर अवकाश के दिवस में भी उपलब्ध करानी होगी।
5. टेक्सी की अलग से लोग बुक भरनी होगी जिस पर कार्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कराने होंगे।
6. किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्यालय द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. पेट्रोल/डीजल/मरम्मत का खर्चा आवेदक फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
8. टेक्सी (कार) का मॉडल दो वर्षों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
9. दरें किराी भी स्थिति में आर.टी.डी.सी. की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. ड्राइवर का भी समस्त खर्चा आवेदक फर्म द्वारा ही वहन किया जाएगा।
11. भुगतान माह के अन्त में वास्तविक किलोमीटर/माह का निर्धारित न्यूनतम किराया राशि के आधार पर किया जाएगा।
12. टेक्सी प्रदान करने वाली एजेन्सी अपना TIN एवं PAN नम्बर की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
13. जयपुर से बाहर जाने पर वाहन चालक को अलग से halting charge additional राशि देय नहीं होगी

उक्त दरें बन्द लिफाफों में जिस पर स्पष्ट रूप से 'टेक्सी (कार) किराये हेतु दरें' लिखा हो निदेशालय में दिनांक 05.06.2017 (अपरान्ह 4.00 बजे) तक अधोहस्ताक्षरी/सहायक निदेशक (का0प्र0) को प्राप्त होनी चाहिये। देरी से प्राप्त दरों /ई-मेल/फैक्स से प्राप्त दरों पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार जनगणना कार्य निदेशालय, राज0, जयपुर के पास सुरक्षित होगा।

संलग्न : एक प्रपत्र

 44  
31/5/17

(आर0आर0 मीना)  
संयुक्त निदेशक

जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र  
टेक्सी (कार) किराये हेतु दरें

गाडी का मॉडल एवं नाम तथा नम्बर	फर्म का नाम एवं पूरा पता	टेलीफोन/मोबाईल नम्बर	प्रति किलोमीटर की दर	प्रतिमाह का किराया एवं सर्विस टेक्स
1. स्वीफ्ट डिजायर या इसके समकक्ष टेक्सी/कार				
2. इनोवा या इसके समकक्ष टेक्सी/कार				

उपरोक्त दरों के अलावा किसी भी प्रकार के अन्य व्यय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर